

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक आर-46 (1) / बी / 19 / 2015
प्रति,

भोपाल दिनांक /1/2015

समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अधीक्षण यंत्री
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
.....मध्य प्रदेश ।

विषय:- धरोहर राशि को लौटाये जाने के संबंध में ;

—0—

निविदा प्रपत्र की सेक्शन-2 आई.टी.बी. की कंडिका 17.3 के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले असफल ठेकेदारों की धरोहर राशि निविदा पर निर्णय के 10 दिवस के अन्दर लौटाई जाना है ।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में एल-1 को छोड़कर शेष ठेकेदारों की धरोहर राशि फायनेसियल बिड खोलने के तुरंत बाद लौटाई जाये ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्न:- शून्य

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 19/1/2015

क्रमांक आर-46 (1) / बी / 19 / 2015 / 57.

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग ।

2. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल ।

3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल ।

4. श्री पी.कुमार सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर, परिपत्र ई-मेल से समस्त संबंधितों को प्रेषित किये जाने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
16/1/2015

म 7/07
20/01/15
4/2011